

Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008- ,dated as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh,  
Department of Panchayati Raj.

...

NO. PCH-HA(1)-3/2019-L-56244-56384 Dated Shimla-171 009, the 27<sup>th</sup> Aug, 2022.

### NOTIFICATION

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2022 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 06-07-2022 for inviting objections and suggestions from general public, vide this department notification of even number dated 06-07-2022 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 12-07-2022, as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified vide Notification No-PCH-HA(3)6/94 dated 07-02-1995 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 08-02-1995, namely :-

Short title and  
Commencement.

- 1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2022.
- 2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.

Amendment of  
rule 35.

In rule 35 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (herein after referred to as the

“said rule” in the proviso under sub rule (2), after the words, figures, sign and alphabet “Form 18-A” the words and sign “and shall furnish an affidavit declaring that he/she is not the defaulter of any co-operative Society operating in the State of Himachal Pradesh shall be inserted.

Addition of form  
18-B

In the said rules after the Form 18-A, the following Form 18-B shall be added, namely:-

-----

**“FORM-18-B**

**[ see rule 35 (2) ]**

**Affidavit/Declaration**

I \_\_\_\_\_ Son/Daughter of Sh. \_\_\_\_\_ resident of village \_\_\_\_\_ do solemnly affirm and declare that I am not a defaulter with respect to any kind of cash/loan/ advance from any cooperative society operating in Himachal Pradesh, as such nothing is due from me to the cooperative society(ies).

I solemnly state that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.


**Name and Address”**

**By order**

**Principal Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

**Endst. PCH-HA(1)-3/2019-L-56244-56384 Dated Shimla-171 009, the 27<sup>th</sup> Aug, 2022.  
Copy for information and necessary action forwarded to:-**

1. All the ACS/Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. Secretary, State Election Commission, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. Addl. LR-cum-Addl. Secy.(Law-Legal) to the Govt. of H.P.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. All the District Panchayat Officer-cum-Secretary, Zila Parishad H.P.
6. Principals, PRTI, Mashobra, Thunag, Baijnath, Himachal Pradesh.
7. All the Block Development Officers-cum-Executive Officers of Panchayati Samitis in Himachal Pradesh.
8. e-Rajpatra.

  
**Special Secretary (Panchayati Raj) to the  
Government of Himachal Pradesh.** 26/8/22

हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग

सं०: पीसीएच-एचए(1) 3/2019-लूज-56244-56384 शिमला-9 तारीख 27/08/2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2022 का प्रारूप, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 06 जुलाई, 2022 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किए गए थे;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(3)6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2022 है।
		(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 35 का संशोधन।		हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 35 के, उप नियम (2) के नीचे परन्तुक में, " प्ररूप 18-क में जारी अदेय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा" शब्दों, अंकों, चिन्ह और वर्ण"

	के पश्चात् और यह घोषित करते हुए कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित किसी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रम नहीं है, शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
प्ररूप 18-ख का जोड़ा जाना	उक्त नियमों में प्ररूप 18-क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 18-ख जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

है कि यह शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	1
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	2
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	3
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	4
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	5
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	6
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	7
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	8
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	9
गणेश जी, अन्तःस्थापित (संशोधित) शपथ-पत्र देगा" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।	10

“प्ररूप-18 ख

{नियम 35 (2) देखें}

मैं.....पुत्र/पत्री श्री .....  
गांव,.....का निवासी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि  
मैं हिमाचल प्रदेश में संचालित किसी सहकारी सोसाइटी से किसी प्रकार के नकद/ऋण/  
अग्रिम के बाबत व्यतिक्रमी नहीं हूँ, अतः मेरे द्वारा सहकारी सोसाइटी को कुछ भी देय नहीं है।

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र  
की विशय वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया  
नहीं गया है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

नाम और पता”


आदेश द्वारा,  
प्रधान सचिव (पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: पीसीएच-एचए-56244-57384

दिनांक 27/08/2022

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
- 3 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 4 संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 5 समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
- 6 प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, जिला शिमला, बैजनाथ  
जिला कांगडा एवं थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
- 7 समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, हिमाचल  
प्रदेश।
- 8 ई-गजट।

  
26/8/22  
विशेष सचिव (पंचायती राज)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।